पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607
Website: prsu.ac.in; E-mail id: dcdc.ptrsu@gmail.com

क्रमांकः 3477 /DCDC/16 रायपुर, दिनांकः 28/10/2016

महाविद्यालय विकास परिषद् की बैठक दिनांक 26.10.2016 का कार्यवृत्त

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विभाजन उपरांत अध्यादेश क्रमांक–54 के कण्डिका 4(1) [i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii एवं ix] के तहत् विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 3466/DCDC/16 रायपुर, दिनांक 03.10.2016 के द्वारा महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया गया।

महाविद्यालय विकास परिषद् के सभी सदस्यों की बैठक दिनांक 26.10.2016 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के कार्यपरिषद् बैठक कक्ष में अपरान्ह् 12:00 बजे आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. ए.के. शुक्ला, डी.सी.डी.सी. – संयोजक
3. डॉ.. शैलेन्द्र सराफ – सदस्य
4. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
5. डॉ. मीताश्री मित्रा – सदस्य
6. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान – सदस्य
7. डॉ. रेखा पाण्डेय – सदस्य
8. डॉ. अरूणा पल्टा – सदस्य
9. डॉ. प्रीति तिवारी – सदस्य
10. डॉ. के.एन. शर्मा – सदस्य
11. डॉ. ममता शर्मा – सदस्य
12. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
13. डॉ. ए.के. तिवारी – सदस्य
14. डॉ. (श्रीमती) मृदुला शुक्ला – सदस्य
15. डॉ. टोपलाल वर्मा – सदस्य
16. डॉ. धमेन्द्र यादव – सदस्य
17. डॉ. राजीव तिवारी – सदस्य
18. डॉ. दिप्ती झा (ठाकुर) – सदस्य
19. श्री धर्मेश कुमार साहू, कुलसचिव – सदस्य

डॉ. ए.के. शुक्ला, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए बैठक आरंभ किया।

उनके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गयाः–

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की योजनाओं एवं अनुदान हेतु महाविद्यालयों का 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 28 शासकीय एवं 08 अशासकीय महाविद्यालय 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत है।

   संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शेष महाविद्यालयों में 2(f) एवं 12(b) के पंजीयन हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता बतायी। उक्त अनुक्रम में समय–समय पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् द्वारा महाविद्यालयों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है।
2. सदस्यों ने UGC से प्राप्त अनुदान के व्यय के संबंध में होने वाली कठिनाईयों के संबंध में बताया कि– प्राचार्यों के क्रय करने की सीमा कम होने के कारण अनुदानों का समय पर उपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता है।

3. सदस्यों ने सुझाव दिया कि UGC संबंधी योजनाओं के कियान्वयन एवं समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से पत्र व्यवहार किया जाना उचित होगा।
4. NAAC:- सभी महाविद्यालयों का NAAC द्वारा प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से मात्र 08 महाविद्यालयों को NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है। शेष महाविद्यालय जिनमें ऐसे महाविद्यालय जिनको पूर्व में NAAC ग्रेडिंग प्राप्त हुआ था किन्तु जिसकी समय–सीमा समाप्त हो चुकी है तथा ऐसे महाविद्यालय जिन्होने अभी तक NAAC मूल्यांकन हेतु प्रयास नहीं किया है उनके द्वारा NAAC प्रत्यायन हेतु शीघ्र पहल किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
5. IQAC:- सभी महाविद्यालयों में IQAC का गठन किया जाए तथा अध्ययन–अध्यापन में गुणवत्ता हेतु निरंतर प्रयास किया जावे।
6. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा परिनियम 27 एवं 28 का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए विशेषकर महाविद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति, ग्रंथालय में पुस्तकों की उपलब्धता तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

   कुछ सदस्यों ने स्नातक स्तर पर विशेषकर B.A., B.Com, B.Sc.एवं Computer Science के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन कर पाठ्यक्रम अद्यतन करने की आवश्यकता बतायी।
7. सदस्यों द्वारा UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्तर कराए जाने की मांग की।
8. कुलपति जी ने महाविद्यालय विकास परिषद् के गठन की आवश्यकता एवं महत्व के संबंध में जानकारी दी तथा निर्देशित किया कि– सभी महाविद्यालयों में UGC की योजनाओं का कियान्वयन, NAAC द्वारा मूल्यांकन, ग्रन्थालय में पुस्तकों की पर्याप्त व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति आदि की कार्यवाही की जावे।

   सदस्यों द्वारा UGC की कार्यप्रणाली एवं महाविद्यालयों में NAAC मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्तर कराए जाने की मांग पर कुलपति जी ने भविष्य में विश्वविद्यालय Academic Staff College (HRD) के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था कराए जाने का विचार व्यक्त किया।

कुलसचिव के द्वारा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के गुणवत्ता विकास में संवर्धन के लिए आवश्यक पहल करने हेतु प्रयास किए जाने पर जोर दिया गया। मान. कुलपति जी एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न की गई।

कुलपति
अध्यक्ष

संचालक/संयोजक
महाविद्यालय विकास परिषद्

पृ.कमांकः 3478 **/DCDC/16**

रायपुर, दिनांकः 28/10/**2016**

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सदस्य, महाविद्यालय विकास परिषद् को।
2. उप कुलसचिव (अका.)/उप कुलसचिव (सा.प्रशा.)/अधिष्ठाता छात्र कल्याण
3. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
4. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर